

प्रेषक,

दिनेश प्रताप सिंह,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कोर्ट सं०-1,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
इलाहाबाद।

द्वारा -

माननीय प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, मुजफ्फरनगर।

संदर्भ:

पत्र सं०- 9691/ IV-F-82 (Pension) / Admin.
(A) Dated : July 16, 2024.

विषय:

शासनादेश सं० 14/2024 /Sa -3-243/X-2024/301 (1)/
2024 दिनांकित 28-06-2024 सपटित शासनादेश सं०
20/2024- 28-06-2024 Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024
दिनांकित 11.07.2024 के प्रकाश में पुरानी पेंशन हेतु विकल्प
चयन करने के सम्बन्ध में।


महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थी की नियुक्ति उ०प्र० न्यायिक सेवा में उ०प्र० शासन के दिनांक 22-02-2008 के नियुक्ति आदेश, नियुक्ति अनुभाग-4, सं० 418/दो-चार- 08-32 (1)/2001 टी.सी.-1 से हुई थी। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के विज्ञप्ति सं० 214/ AR (S) / 2009, दिनांकित 16 अप्रैल 2009 के अनुपालन में जनपद मिर्जापुर में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का पद भार दिनांक 18-04-2009 को ग्रहण किया था। प्रार्थी की नियुक्ति उ०प्र० न्यायिक सेवा परीक्षा, 2003 के विज्ञापन सं०-A-2/ E-1/2003, Dated 15 November, 2003, जिसका प्रकाशन रोजगार समाचार पत्र के 22-28 नवम्बर के अंक में हुआ था। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश संख्या- 14/2024/ सा-3-243/दस-2024/ 301 (1)/2024 दिनांकित- 28.06. 2024 सपटित शासनादेश सं०-20/ 2024/सा- 03-276 / दस- 2024 301 (1)/ 2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने का पात्र है।

प्रार्थी शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस- 2024/301 (1)/ 2024 दिनांकित28-06-2024 सपटित शासनादेश सं०-20/2024/ सा- 03-276/दस-2024 / 301 (1) /2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 के प्रकाश में, अपना प्रत्यावेदन पुरानी पेंशन योजना के विकल्प में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित कर रहा है। अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,


(दिनेश प्रताप सिंह)
38.07.2024

अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कोर्ट सं०1,
मुजफ्फरनगर।

दिनांक: 30-07-20024,

संलग्नक :

1. पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने हेतु विकल्प पत्र।

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस - 2024/301(1)/2024 दिनांक 11
जुलाई, 2024 के अनकम में पुरानी पेंशन योजना के चयन का विकल्प पत्र-

1. नाम - दिनेश प्रताप सिंह,
2. वर्तमान पदनाम - अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोर्ट सं01, मुजफ्फरनगर।
3. वेतनमान- 1,63,030 (As on 01.06.2024)
4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. विज्ञप्ति की तिथि-विज्ञापन संख्या- A-2/E-1/2003, दिनांकित 15 नवम्बर 2003 व रोजगार समाचार दिनांकित 22-28 नवम्बर, 2003 में प्रकाशन।
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 22.02.2008 (विज्ञप्ति सं0 418/दो-4-08-32 (1) 2001 टी सी-1 दिनांक 22-02-2008)
8. योगदान की तिथि 18.04.2009
9. जन्म तिथि- 05.01.1969
10. सेवा निवृत्ति की तिथि-31.01.2029

मैं दिनेश प्रताप सिंह पुत्र श्री करुणा शंकर सिंह शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-343/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाए।

हस्ताक्षर.....*D Singh*
30.07.2024
नाम - दिनेश प्रताप सिंह
पदनाम-अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कोर्ट सं0-1,
मुजफ्फरनगर।
जे0ओ0कोड- UP1531

घोषणा पत्र

मैं दिनेश प्रताप सिंह पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोर्ट सं0-1, मुजफ्फरनगर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर.....*D Singh*
30.07.2024
नाम - दिनेश प्रताप सिंह
पदनाम-अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कोर्ट सं0-1,
मुजफ्फरनगर।
जे0ओ0कोड- UP1531

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

मैं दिनेश प्रताप सिंह पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोर्ट सं0-1, मुजफ्फरनगर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति